निर्णय
24.01.2025

2025/55

फर्द अहकाम
(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ

लक्ष्मीनारायण बनाम हनुमानप्रसाद आदि

वाद अन्तर्गत धारा 88,53 आर.टी.एक्ट प्रकरण संख्या 33 वर्ष 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
17.01.2025	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा 24.01.2025 को पेश हो। [signature]	
20.01.2025	वकील वादी ने प्रार्थना-पत्र निकाल पेशी पेश करने पर पत्रावली को पेशी में लिया गया। वकुलाए फरीकेन उपस्थित। वादी व प्रतिवादी क्र. 1 ता 3 ने हाजिर अदालत आकर राजीनामा पेश किया जिसे बाद तस्दीक शामिल पत्रावलि किया गया। पत्रावली वास्ते स्टेट जवाब आईन्दा तारीख 24.01.2025 को पेश हो। [signature]	रामा हनुमान पन्नां ~~[illegible]~~ विजय लक्ष्मीनारायण [illegible]
24.01.2025	वकुलाए फरीकेन उपस्थित। स्टेट जवाब प्राप्त हुआ। बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड आदि व वादी प्रतिवादी के राजीनामा के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाता है। पूर्ण विवरण सहित निर्णय अलग से लिखा जाकर [illegible] पारित किया जावे। पत्रावली [illegible] बाद तकमील तामील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। [signature]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.01.31 12:59:08 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजय कुमार आर.ए.एस.
मुकदमा संख्या :– 33/2025 अन्तर्गत धारा 88, 53 आरटीएक्ट
लक्ष्मीनारायण पुत्र विजयकुमार जाति स्वामी निवासी 3 डीडब्ल्युएम तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ (राज0)

–वादी

बनाम

1. हनुमानप्रसाद पुत्र बजरंगदास जाति स्वामी निवासी रामपुरा हाल 3 डीडब्ल्युएम तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ (राज0)
2. विजयकुमार पुत्र हनुमान प्रसाद जाति स्वामी निवासी 3 डीडब्ल्युएम तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ (राज0)
3. रामादेवी पत्नि विजयकुमार जाति स्वामी निवासी 3 डीडब्ल्युएम तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ (राज0)
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

–प्रतिवादीगण

उपस्थितः– श्री राकेशकुमार वकील–वादी
श्री बलराम कस्वां वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 3
राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 4

निर्णय दिनांक– 24-01-2025

यह राजस्व मुकद्दमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि:–

1. प्रतिवादी सख्या 2 विजय कुमार को चक रामपुरा बारानी खाता नं. 42 पं0नं0 217/57 (15) किला नम्बर 1 ता 4, 9 ता 12, 19, 20, 21 की 2.782 है0 बारानी – 02.782 है0 बारानी चक 2 आरपीएम खाता नम्बर 75/33 पं0 नं0 216/56 (54) किला नम्बर 23/2, 24/2 की 0.455 है0 अनकमाण्ड 0.455 है0 अनकमाण्ड भूमि का,
2. वादी लक्ष्मीनारायण, प्रतिवादी सख्या 1 हनुमानप्रसाद, प्रतिवादी सख्या 3 रामादेवी को ब हिस्सा बराबर चक 2 आरपीएम खाता नम्बर 75/33 पं0 नं0 216/56 (54) किला नम्बर 3, 4, 7, 8, 13, 14, 17, 18 की 02.024 है0 अनकमाण्ड – 02.024 है0 अनकमाण्ड, चक 5 डीडब्ल्युएम खाता नम्बर 66/51 पं0 नं0 194/42 (16) किला नम्बर 3, 4, 7, 8, 13, 14/1, 18, 23/1 की 01.860 है0 कमाण्ड – 01.860 है0 कमाण्ड कुल तादादी 03.884 है0 भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।

इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेगें।

आज यह पर्चा डिकी हमारे दस्तखत एवं मुहर अदालत के आज दिनांक 24-01-2025 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2025.01.31 12:59:08 IST
Reason: SelfAttested

(संजय कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर